कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1016 / Aligarh/13881/UP-134/2015, अलीगढः दिनांकः सितम्बर, 15 ,2023

वन (संरक्षण) रूल्स, 2003 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक,
नायरा एनर्जी लि०,
आगरा ऑफिस,
प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस,
सेक्टर 16बी, आवास विकास, सिकंदरा योजना, आगरा।

विषय : **वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।**

संदर्भः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ का पत्रांक 1432/14–1 दिनांक 30.10.2019

आप की संस्था द्वारा श्री प्रशांत कुमार आर्य पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, निवासी– ग्राम सुखरावली पोस्ट–क्वार्सी, जिला–अलीगढ़ को अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धित प्रस्ताव Proposal No. FP/UP/Others/13881/2015 प्रेषित किया गया था।

वन कर्मियो के क्षेत्रीय निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल पर भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया गया है तथा सम्पर्क मार्ग का अवैधानिक रूप से गैर वानिकी प्रयोग किया जा रहा है, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लघन है। इस परिपेक्ष्य में अलीगढ़ रेंज द्वारा रेंज केस सं0 32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 के तहत वन अपराध दर्ज किया गया।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य भारत सरकार ,वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नही कराया जा सकता है एवं आपकी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य करके न सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 का वरन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन किया गया है।

इस सम्बन्ध में वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के संदर्भित पत्र द्वारा आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत 60 दिनों में उत्तर उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। परंतु आपके द्वारा 03 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रेषित नहीं किया गया। अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि 15 दिनो के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में धारा–3बी में आपके विरूद्ध बाद चलाया जाय? निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त न होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/327 दिनांक 28.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 10.08.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 8वीं बैठक में प्रश्नगत प्रस्ताव को Agenda Item No. 8.5 (UP) सम्मिलित किया गया था एवं निर्देश निर्गत किये गये है कि प्रश्नगत स्थल पर संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग शीघ्र रोका जाये तथा आपको दिनांक 30.10.2019 को प्रेषित नोटिस के सम्बन्ध में अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर प्रदान किया जाये।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

E:\D.Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol Pump Ukhlana\CA Scheme.doc